न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05 / 2023	04.04.2023	11/3/2025

उनवान

1. श्रीमती बदाम देवी पुत्री स्व0 मोहन पत्नी फकीरचन्द भाम्भी निवासी लाम्बीयाकलां तहसील बनेडा जिला भीलवाडा हाल गांव कुचडोद तहसील जीरन नीमच (मध्यप्रदेश)

—— अपीलार्थी

बनाम

1. श्री जमनालाल पिता मोहन भाम्भी निवासी लाम्बीयाकलां तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती नन्दु बेवा मोहन भाम्भी निवासी लाम्बीयाकलां तहसील बनेडा जिला भीलवाडा।
3. श्री मोहन पिता रघुनाथ बैरवा, निवासी रूपाहेली तहसील हुरडा जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा
5. ग्राम पंचायत गठिला जरिये सरपंच ग्राम गठिला पंचायत समिति सुवाणा।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :—

1. अपीलार्थीगण अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन, उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट 01 अधिवक्ता श्री मनोहरलाल बुनकर उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 05 उपस्थित नहीं।
4. विपक्षी संख्या 04 पैरोकार सरकार उपस्थित।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 762 ग्राम पंचायत आटुण
निर्णय दिनांक 15.08.2002
अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपीलार्थीया अपनी अपील प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि ग्राम गठिलाखेडा पटवार मण्डल गठिलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा में अपीलार्थीया के पिता स्व0 मोहन पिता नन्दा भाम्भी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि स्थित जिसमें कृषि आराजी नम्बर 947 / 1 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा यानि 0.4805 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 949 रकबा 03 बीघा यानि 0.7587 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 950 रकबा 00 बीघा 04 बिस्वा यानि 0.0506 हैक्टेयर भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा यानि 1.2898 हैक्टेयर भूमि स्थित है मोहन पिता नन्दा जी भाम्भी की मृत्यु के पश्चात विरासत का जो नामान्तकरण खौला गया उसमे पटवारी हल्का ने मोहन पिता नन्दा के बजाय कलम नम्बर 9 में जमना पिता मोहन नन्दू बेवा मोहन का नाम ही अंकित किया जबकि अपीलार्थीया मोहन पिता नन्दा जी की जायन्दा पुत्री होने के बजाय भी नामान्तकरण संख्या 762 मे नाम अंकित नही किया जबकि पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट प्ररस्तुत की जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया कि खातेदार मोहन पिता नन्दा भाम्भी मृत्यु हो चूकी है जिनके वारीस क्रमशः पुत्र एक जमना पिता मोहन, व पत्नि नन्दू बेवा मोहन है व पुत्री एक बदाम है जो सुसराल रहती है अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह यह स्पष्ट है कि बदाम खातेदार मोहन पिता नन्दा की जायन्दा पुत्री है जिसका नाम अंकित नहीं किया है व ग्राम पंचायत द्वारा भी मजमे आम जो विरासत का तथाकथित नामान्तकरण जो खौला गया उसमे सभी वारीसान की पूर्ण जांच व तहकीकात नही की केवल पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तकरण भरा गया उसे स्वीकृत कर दिया अपीलार्थीया अपने पति के साथ नीमच रहती है जो आती जाती रहती है व अपना हिस्सा मे देख रेख कास्त के लिए अपने भाई को दे रखा है प्रत्यर्थी संख्या एक जमना ने व नन्दुदेवी ने मोहन पिता नन्दा की मृत्यु के बाद अकेले के नाम पर दर्ज करवा ली उसके पश्चात उक्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 2 को विक्रय कर दी जिसकी जानकारी अपीलार्थीया को हाल ही में फरवरी माह में अपने गांव आयी व ग्राम गठीलाखेडा वाली भूमि में मोहन पिता रघुनाथ बैरवा का नाम अंकित होना पाया गया जिसमे अपीलार्थीया ने पुरानी रोटेशन की जमाबन्दी की नकले प्राप्त कर तथाकथित विवादित नामान्तकरण संख्या 762 निर्णय दिनांक 15 / 08 / 2002 की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 22 / 02 / 2023 को प्राप्त की प्राप्त होने पर उक्त नामान्तकरण संख्या 762 के समस्त तथ्यो का ज्ञान हुआ जिसमे तथाकथित विवादित नामान्तकरण संख्या 762 से व्यथीत होकर निम्न आधारो पर यह अपील प्ररस्तुत की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ ग्राम पंचायत आटुण का निर्णय दिनांक 15/08/2002 विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से अपास्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत आटुण के समक्ष ग्राम गठीलाखेडा पटवार हल्का गठीलाखेडा की कृषि भूमि आराजी नम्बर 947/1 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा यानि 0.4805 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 949 रकबा 03 बीघा यानि 0.7587 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 950 रकबा 00 बीघा 04 बिस्वा यानि 0.0506 हैक्टेयर भूमि कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा यानि 1.2898 हैक्टेयर भूमि मोहन पिता नन्दा भाम्भी के नाम पर खातेदारी अधिकार के रूप मे दर्ज रेकॉर्ड थी मोहन पिता नन्दा भाम्भी की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण संख्या 762 खौला जाकर निर्णित किया गया उसमे मोहन पिता नन्दा की विरासत जमना लाल पुत्र मोहन व नन्दू बेवा मोहन व पुत्री बदाम देवी के नाम पर खौला जाकर स्वीकृत होना चाहिये था किन्तु पटवारी हल्का ने अपीलार्थीया बदाम देवी का नाम छोड दिया व जमनालाल व नन्दूदेवी के अकेले के नाम पर खौल दिया जबकि नामान्तकरण की रिर्पोट में मोहन पिता नन्दा की एक पुत्री बदाम जिवित होने का उल्लेख है केवल मात्र ससुराल रहती है इस आधार पर अपीलार्थीया का नाम अंकित नही किया व ग्राम पंचायत ने भी पुत्री होते हुऐ भी बिना जांच व तहकीकात किये मृतक मोहन पिता नन्दा की विरासत अकेले प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 जमना व नन्दू के नाम पर खौल दिया है जो कि त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त होने लायक है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत आटुण के समक्ष तथाकथित नामान्तकरण संख्या 762 न्यायालय के समक्ष प्ररस्तुत होने पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत को मृतक मोहन पिता नन्दा भाम्भी की विरासत की पूर्ण जांच व तहकीकात की जाकर निर्णय किया जाना चाहिये था किन्तु बिना किसी जांच व नामान्तकरण का अवलौकन किये बिना ही नामान्तकरण को स्वीकृत किया है जबकि तथाकथित नामान्तकरण में भी स्वयं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में ही स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थीया बदाम देवी मोहन पिता नन्दा की जायन्दा पुत्री है उसकी शादी होकर ससुराल रहने के आधार पर विरासत से नाम नहीं हटाया जा सकता है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने लायक है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विवादित निर्णय नामान्तकरण संख्या 762 दिनांक 15/08/2002 को पारित किया जिसकी जानकारी अपीलार्थीया को प्रमाणित प्रतिलिपी की नकल दिनांक 20/02/2023 को प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यो का ज्ञान हुआ जानकारी होते ही अपीलार्थीया की और से जानकारी दिनांक 20/02/2023 के अन्दर अवधि 30 दिन में प्रस्तुत है फिर भी अपील को मियाद में शुमार हेतु दफा 5 कानून मियाद का आवेदन अलग से प्रस्तुत है। अपील अपीलार्थीया स्वीकार करवाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 762 निर्णय दिनांक 15/08/2002 को निरस्त कर पुनः विरासत की जांच कर नामान्तकरण खौलने का आदेश कराया जावे व राजस्व रेकॉर्ड मे अपीलार्थीया का नाम दर्ज कराया जावें।

अपीलार्थीया का अपील प्रार्थनापत्र पंजीबंद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किए गए। प्रत्यर्थी संख्या 02, 03 व 05 उपस्थित नहीं। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि उक्त उनवान की अपील न्यायालय आप में मेरी बहन बदाम देवी द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें वर्णित समस्त तथ्यों को मैं स्वीकार करता हूँ। हमारे परिवार में मुख्य पुरूष मोहन जी थें जिनके हम मुख्य रूप से 03 वारिस थे नन्दु देवी, जमनालाल, बदाम देवी किन्तु मोहन जी की विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का ने मेरे व मेरी माता के नन्दु देवी के नाम पर ही खौला जबकि मेरी बहिन बदाम देवी का भी दर्ज होना चाहिये था जो नहीं किया है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर मेरी बहिन बदाम देवी का नाम दर्ज किया जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलार्थीया की अपील की सुनवाई करने से पूर्व अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गठिलाखेडा के नामान्तकरण संख्या 762 निर्णय दिनांक 15.08.2002 सरपंच ग्राम पंचायत आटुण द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नामान्तकरण की नकल प्राप्ति दिनांक 20.02.2023 से हुई है। दिनांक 15.08.2002 से अपील पेश करने दिनांक 28.03.2023 तक के समय को क्षम्य करने हेतु निवेदन करते हुये अपील को दर्ज रजिस्टर करने की प्रार्थना की है।

खण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीया की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम पर अपीलार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 02 को दोहराते हुये अपील को प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील को मियाद में शुमार कराई जायें। अपीलार्थीया ने ग्राम गठिलाखेडा के नामान्तकरण संख्या 762 निर्णय दिनांक 15.08.2002 सरपंच ग्राम पंचायत आटुण की अपील दिनांक 28.03.2023 को प्रस्तुत की है। दफा 05 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.08.2002 से दिनांक 28.03.2023 तक की विलम्ब की अवधि को क्षम्य करने की प्रार्थना की है। विलम्ब की अवधि करीब 21 वर्ष होती है। अपीलार्थीया ने इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् अपील प्रस्तुत करने के कोई ठोस कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया की अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है जिसे अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है।

अपीलार्थीया अधिवक्ता अधिवक्ता की मूल अपील में बहस सुनी गयी। अपीलार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये ग्राम गठिलाखेडा पटवार मण्डल गठिलाखेडा के नामान्तकरण संख्या 762 में पटवारी हल्का ने मोहन पिता नन्दा के बजाय कलम नम्बर 9 में जमना पिता मोहन नन्दू बेवा मोहन का नाम ही अंकित किया है। जो त्रृटिपूर्ण है जबकि अपीलार्थीया बदाम देवी स्व0 मोहन पिता नन्दाजी भाम्भी की पुत्री होकर जन्म से ही विधिक वारीस है। अपीलार्थीया पैतृक भूमि में अपना नाम विरासत से दर्ज कराने की अधिकारी होने से सरपंच ग्राम पंचायत आटुण द्वारा ग्राम गठिलाखेडा के नामान्तकरण संख्या 762 में पारित आदेश दिनांक 15.08.2002 को अपास्त कर राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीया का नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की और से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम गठिलाखेडा के नामान्तकरण संख्या 762 निर्णय दिनांक 15.08.2002 सरपंच ग्राम पंचायत आटुण की अपील अपीलार्थीया द्वारा काफी विलम्ब से पेश की गई। इस अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम को खारिज करते हुये अपीलार्थीया की अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की खारिज कराई जावें।

अपीलार्थीया ने अपनी अपील के साथ वादग्रस्त ग्राम गठिलाखेडा के आराजी नम्बर 947/1, 949, 950 कुल किता 03 कुल रकबा 01.2898 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2070 से 2073 जमाबन्दी वर्ष 2077 में खाता संख्या 303 मोहन पुत्र रघुनाथ बैरवा सा0 रूपाहेली तहसील हुरडा खातेदार दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 762 में जमना पिता मोहन, नन्दु बेवा मोहन भाम्भी सा0 देह खातेदार का नाम दर्ज नहीं रहा है। अपीलार्थीया ने वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में काफी विलम्ब से अपील पेश की गई है। अपीलार्थीया को वादग्रस्त आराजियात में अपने हक अधिकार की घोषणा कराने के लिये स्वतंत्र है। अपीलार्थीया की अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं वादग्रस्त आराजियात रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम पर दर्ज हो जाने से अपीलार्थीया की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव

—:: आदेश ::—

ग्राम गठिलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा के नामान्तकरण संख्या 762 निर्णय दिनांक 15.08.2002 सरपंच ग्राम पंचायत के विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की दिनांक 28.03.2023 को काफी विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के नाम खातेदारी दर्ज हो जाने से अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थीया वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में अपने हक अधिकारों की घोषणा कराने के लिये स्वतंत्र है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा